न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेष सोनी, आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या 201 /2021

वादी :– किस्तुरमल पुत्र गुणेशाराम जाति कुम्हार निवासी जसोल

तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।

बनाम

प्रतिवादीगण :– 1. अजनाराम पुत्र गुणेशाराम
2. छगनलाल पुत्र गुणेशाराम जाति कुम्हार निवासी जसोल
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते घोषणा व दुरूस्ती

उपस्थिति :– 1. श्री वादीगण स्वंय वादी।
2..श्री स्वयं प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक :– 13.11.21

वादी के द्वारा वादपत्र के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी व कब्जा काष्त की भूमि खेत खसरा नं 601/274 रकबा 26-1800 बीघा, सरहद मौजा खेड़ तहसील पचपदरा मे स्थित है जिस पर वादी का कब्जा काष्त है। वादी के बचपन में लाड प्यार से बोले जाने वाला नाम सीताराम होने से राजस्व रेकर्ड में (विराजक नामान्तकरण के) इस प्रकार से दर्ज किया गया, जबकि वादी का अन्य सभी दस्तावेजात भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, राषन कार्ड में वादी का नाम किस्तुरमल दर्ज है। वादी को किसान कार्ड बनाने, किसान अनुदान लेने अन्य सरकारी योजनाओं का फायदा प्राप्त करने में कई कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। वादी ने राजस्व रेकर्ड में अंकित गलत नाम इन्द्राज सीताराम के स्थान पर किस्तुरमल सही नाम घोषित करवाने का निवेदन किया गया।

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.05 16:50:03 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण संख्या 1 राजस्थान राज्य की तरफ से ईकबाली जवाबदावा पेश कर वादी के वाद पत्र के समस्त तथ्यों को सही होना स्वीकार किया गया एवं वादी का बचपन नाम गीलाराम के स्थान पर किस्तुरमाल दुरूस्ती की जाती है, तो उन्हें कोई आपत्ति व उज्र एतराज नहीं है।

वाद पत्र में अंकित तथ्यों की जांच तहसीलदार पचपदरा तहसील पचपदरा से करवाई गई। राजस्थान राज्य की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें नाम दुरूस्ती करने की सहमति प्रकट की गई है।

हमनें पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि खेत खसरा नं 601/274 रकबा 26-18 बीघा, सरहद मौजा रवेड़ तहसील पचपदरा वादी का नाम बचपन में लाड–प्यार का नाम उपरोक्तानुसार दर्ज किया गया वादी द्वारा साक्षी में प्रस्तुत दस्तावेजात में अर्थात अन्य सरकारी व अन्य अर्द्धसरकारी दस्तावेजों ~~संस्पर्च ग्राम~~ ~~पंचायत~~ ~~पटवारी~~ अनेक एवं तहसीलदार पचपदरा की जांच रिपोर्ट के अवलोकन स्पष्ट साबित है कि वादी के बचपन का नाम उपरोक्तानुसार दर्ज किया गया है वादी का सही नाम उपरोक्तानुसार है, ऐसी स्थिति में वादी के वाद को स्वीकार करने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा की मजमें आम मे की मौका रिपोर्ट के आधार पर खेत खसरा नं 601/274 रकबा 26-18 बीघा, सरहद मौजा रवेड़ में गीलाराम पुत्र गुणेशा कोम कुम्हार के स्थान पर किस्तुरमल पुत्र गुणेशाराम जाति कुम्हार निवासी असोतरा वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम उपरोक्तानुसार पुत्र गीलाराम उर्फ ... के स्थान पर उपरोक्तानुसार पुत्र गीलाराम उर्फ किस्तुरमल खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार पचपदरा को आदेषित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिष्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 12.11.21 को कोर्ट कैम्प कोर्ट रवेड़ में मजमे आम में सुनाया गया।

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.05 16:50:03 IST
Reason: SelfAttested

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Cill Procedure Code.Appendeix "d" 1)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

केम्प कोर्ट.........ढंढेड़.........

पीठासीन अधिकारी – श्री नरेश सोनी , आर.ए.एस.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. बिल्लुरमाम पुत्र गुणेशाराम जाति कुम्हार निवासी जसोल तहसील पचपदरा जिला बाडमेर		1. अणतराम पुत्र गुणेशाराम 2. छगनाराम पुत्र गुणेशाराम जाति कुम्हार नि० जसोल 3. 3. राजस्थान सरकार जरिये भू –धारक तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्या :– /2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय बहाजरी श्री ....वादी स्वंय मिनजानिब श्री ....स्वंय.......... पेरोकार सरकार प्रतिवादीगण मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी जारी की जाती है कि वादी के वाद को स्वीकार **किया जाकर तहसीलदार पचपदरा की मजमें आम मे की मौका** रिपोर्ट के आधार पर खेत खसरा नं ....601/275.......... रकबा ....26-18.......... बीघा, सरहद मौजा ....ढंढेड़.......... ....

वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम ....शीलाराम.......... पुत्र ....गुणेशा.......... ...... के स्थान पर शीलाराम उर्फ बिल्लुरमाम.......... पुत्र ....गुणेशाराम..........खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिश्चित करें।बीज मुबलिग बाबत खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारिख में तारीख वसूलयाबी तक को अदा करे।
बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ....13/11/21.......... को जारी की गई।

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.05 16:50:03 IST
Reason: SelfAttested

मुददई	रूपया	पै.	मुददयलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुम्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प अरजीदावा स्टाम्प अरजी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुम्मनामा मुतफरिक मीजान		